न्यायालय नायब तहसीलदार राजगढ़ जिला अलवर (राज0)

करण सं0 05 / 2021 तारीख दायर :—11.08.2021 दिनांक निर्णय :—08.09.2021

1. सरकार जरिये पटवारी हल्का सुरेर तहसील राजगढ़ जिला अलवर

बनाम

1.हरलाल पुत्र टुण्ड़ाराम निवासी गोठ तहसील राजगढ़ जिला अलवर

2.गिर्राज पुत्र पुत्र टुण्ड़ाराम निवासी गोठ तहसील राजगढ़ जिला अलवर

अन्तर्गत धारा राजस्थान भू0 राजस्व
अधिनियम 1956 की धारा 91

आज पत्रावली पेश हुई। अप्रार्थीगण की और से गिर्राज उपस्थित है। पत्रावली का अवलोकन किया गया, अप्रार्थीगण द्वारा राजकीय भूमि पर अतिक्रमण करने पर पटवारी हल्का सुरेर द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई जिससे अप्रार्थीगण का अतिक्रमण सिद्ध होता है। जिस पर विधिक उपाबन्धानुसार राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को सुनवाई हेतु जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण की और से गिरार्ज प्रसाद द्वारा जवाब नोटिस दिनांक 08.09.2021 को पेश किया जिसमें आ0ख0न0 331 रकबा 0.34 हे0 किस्म गैर मु0 तलाई सिवायचक वाके ग्राम गोठ में रेगुलाईज करने का निवेदन किया है। जवाब नोटिस के तथ्य सतोषप्रद नहीं है। अप्रार्थी की मंशा अतिक्रमण को कायम रखने की प्रतीत होती है। चूँकि रिपोर्ट पटवारी हल्का सुरेर के अनुसार राजकीय भूमि पर अप्रार्थी द्वारा अनाधिकृत रूप से जोत लगाकर अतिक्रमण किया गया है। अतिक्रमी काबिल बेदखली है।

अतः आदेश है कि:— अतिक्रमी हरलाल, गिराज पुत्रान टूण्ड़राम जाति मीना निवासी गोठ को आराजी ख0न0 331 रकबा 0.48 हे0 किस्म गैर मु0 तलाई सिवायचक में से 0.34 हे0 वाके ग्राम गोठ से बेदखल किये जाने का आदेश पारित किया जाता है, तथा सरह लगान 1.36 की 50 गुणा में मु0 68.00/—रूपये पेनल्टी अधिरोपित की जाती है। तहसील राजस्व लेखाकार राजगढ़ को पेनल्टी राशि की कायमी व पटवारी को पालनार्थ लिखा जावें। अतिक्रमी को भौतिकरूप से मौके से बेदखली हेतु गिरदावर कानूनगों/पटवारी हल्का सुरेर को आदेश दिये जाते है कि अतिक्रमी को भौतिकरूप से बेदखल कर पालना रिपोर्ट मय घटना बही की रिपोर्ट सहित पालना प्रस्तुत करे। आज दिनांक 08.09.2021 को निर्णय लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनवाया गया। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

नायब तहसीलदार
राजगढ़ (अलवर)
नायब तहसीलदार
राजगढ़ जिला अलवर

रा. ले. स. 4 वर्ष 2021-22
के पृष्ठ संख्या 12 — पर रू 68/-
राशि कायम किये गये।
त. रा. लेखाकार